

## नगर निगम शिमला

### सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित दुकानों, स्टोरो/गोदामो, व सामुदायिक केन्द्र के आबंटन/संचालन हेतू मोहर बन्द निविदाएँ दिनांक 10.02.2026 को 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टॉउन हॉल शिमला के कार्यालय कक्ष में निविदा खोलने हेतू गठित समिति के समक्ष, इच्छुक निविदाकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी।

जिन सम्पतियों की निविदाएँ आमंत्रित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr.No.	Particular	Size	Period	Security money	Reserve price : P.M./P.A.
1.	MC Shed/Shop No.1, Sector-II, Near Fauji Dhaba, New Shimla	67.88 Sq.ft	11 Months	Rs.30,000/-	Rs.60,000/-P.A.
2.	MC Shed/Shop No.1, Mashobra	102.62 Sq.ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/-P.A
3.	Shop No.1, Primahel Chowk Kasumpti Shimla	133.10Sq.ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/-P.A.
4	MC Shed/Shop No.1, Upper Lakkar Bazar Shimla	88.87Sq.ft.	11 Months	Rs.50,000/-	Rs.120,000/-P.A
5	Shop No. 7, Near Ayurviedic Dispensary Dhalli	83.93Sq.ft.	11Months	Rs.30,000/-	Rs.60,000/-P.A
6	Comminuty Centre New Shimla	Two Hall+4 Rooms+gallery+Lawn	3 Years	Rs. 3,50,000/-	Rs. 7,00,000/- P.A
7	Shop No. 3, Frist Floor, Near Milk Plant Totu Shimla	76.39 Sq.ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A
8	MC Shed/ Shop No.1, Near Lakkar Bazar Bus Stand Shimla	118.14Sq.ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A
9	MC Shed/ Shop No.2, Near Lakkar Bazar Bus Stand Shimla	118.14Sq.ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs 60,000/- P.A

10	Shop No. 638 Ajiwaka Bhawan Shimla	55.37Sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs 1,20,000/- P.A
11	Godwon No.12 Near Royal Dairy Sabji Mandi Shimla	33.73Sq.ft.	11 Months	Rs. 25,000/-	Rs 42,000/- P.A
12	Godwon No.13 Near Royal Dairy Sabji Mandi Shimla	33.73Sq.ft.	11 Months	Rs. 25,000/-	Rs 42,000/- P.A
13	Shop No. 630 Ajiwaka Bhawan	58.60Sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs 120,000/- P.A
14	MC Shop 1, opposite Boys School Aukland Shimla	67.25Sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs 120,000/- P.A
15	MC Shop 2, opposite Boys School Aukland Shimla	64.56Sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs 120,000/- P.A
16	MC Shop 3, opposite Boys School Aukland Shimla.	66.17sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 120,000/- P.A
17	MC Shop 4, opposite Boys School Aukland Shimla	62.73sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 120,000/- P.A
18	MC Shop 4, opposite Boys School Aukland Shimla	63.27sq.ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 120,000/- P.A
19	MC Reading Room + open space Near Childreen Park Sanjauli Shimla.	144.61+81. 34=225.95	11 Months	Rs. 1,00,000/-	Rs. 180,000/- P.A

**नियम व शर्तें:-**

- निर्धारित शर्तों की पूर्ति व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा रद्द कर दी जाएगी और उन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त चार्ट में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई गई धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाएगी तथा किसी अन्य प्रकार की धरोहर राशि की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त, नगर निगम शिमला के नाम प्रेषित कर मोहर बन्द निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
- सफल निविदाकार को आबंटित की जाने वाली सम्पति की निविदा राशि की 25% राशि (माल व सेवाकर अतिरिक्त) आबंटन पत्र की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 उतर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) बैंक प्रतिमाह

के कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा सफल निविदा को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वितीय निविदाकार को कब्जा सौंपने बारे कार्यवाही की जायेगी।


4. सफल निविदाकार को निविदा राशि पर केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी०एस०टी० अतिरिक्त देय होगा तथा-माल व सेवाकर निविदा राशि की दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा। यदि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर लगाया जाता है अथवा निर्धारित करों में संशोधन किया जाता है तो निविदाकार को यथानुसार इनका अतिरिक्त तौर पर भुगतान करना होगा।
5. सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाएगा, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
6. प्रत्येक सफल निविदाकार यदि आबन्धित की गई सम्पत्ति को आबन्धित समयावधि के भीतर निगम को कब्जा वापिस सौंपता है, तो जमा की गई प्रतिभूति/धरोहर राशि को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जाएगा।
7. निविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का निविदा खोलने के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
8. आबन्धित की जाने वाली सम्पत्तियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र नगर निगम शिमला होगा।
9. निविदा खोलने वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो प्राप्त निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर खोली जायेगी।
10. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैण्डर फार्म में साफ अंकों व शब्दों में लिखनी होगी जिसमें किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। टैण्डर फार्म नगर निगम शिमला की वेबसाईट से डाउनलोड कर अथवा नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से किसी भी कार्य दिवस पर निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
11. निविदाकार को मोहरबन्द लिफाफे पर निविदा का नाम जिसके लिए निविदा भरी गई है, को लिखना अनिवार्य होगा, जैसे दुकान, स्क्रीन, गोदाम, स्टोर, सामुदायिक केन्द्र में खाली कमरा हेतू।
12. निविदायें अतिरिक्त आयुक्त/संयुक्त आयुक्त नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखें निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि व समय से पहले डालनी होगी। समय सीमा के समाप्त होते ही निविदा बॉक्स को बन्द/सील कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तुत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी तथा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई निविदा ही स्वीकार होगी।
13. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है, तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि के एक दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पत्ति दुकानों/स्टालों/पार्किंग/कैन्टीन/गोदाम/

स्क्रीन/सामुदायिक केन्द्र आदि का देनदार पाया गया तो जो उसकी निविदा है, उसे रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे जिविदाकार बारे बाद में पता लगने पर भी उसकी निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

15. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा निर्धारित अनुबन्ध एवं शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा को रद्द समझी जायेगी।
16. जिस भी निविदाकार के पास वर्तमान में निगम की कोई भी सम्पति जैसे दुकान/स्टाल/कैन्टीन इत्यादि का ठेका है, वह यदि उक्त दर्शाई गई निविदा में भाग लेता है अथवा टैन्डर फॉर्म भरकर निविदा बॉक्स में डालता है, तो भरी गई निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदा स्वतः ही रद्द समझी जाएगी।
17. निविदाओं के अनुबन्ध व शर्तों पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपति अथवा सुझाव हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपतियां/सुझाव दायर कर सकता है उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति/सुझाव मान्य नहीं होंगे।
18. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई निविदाकार निविदाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहता हो तो निविदाएँ भरने से पहले किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला से सम्पर्क कर सकता है।
19. आयुक्त, नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्थगित/रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
20. सफल निविदाकार को सरकार अथवा नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगे।
21. आयुक्त, नगर निगम शिमला या उनके प्राधिकृत कर्मचारी तथा सम्पदा शाखा के सभी निरीक्षकों/कर्मचारी को पट्टा/निविदा पर आबंटित सम्पति/सम्पतियों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
22. इकरारनामा/पट्टा विलेख की शर्तों की उल्लंघना करने पर इकरारनामा रद्द समझा जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
23. अनुबन्ध की अवधि की समाप्ति पर यदि सम्पति को कोई नुकसान पाया जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुकसान की भरपाई की राशि को काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी और यदि नुकसान की भरपाई की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक की बनती है, तो उसकी वसूली सम्बन्धित निविदाकार से करने के उपरान्त ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का दिया गया कब्जा समाप्त माना जाएगा।
24. निगम की उपरोक्त सम्पतियां वर्तमान में जिस स्थिति में है, उसी स्थिति/सुविधाओं के साथ आबंटित की जाएगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसेंस इत्यादि की औपचारिकताएँ सफल निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

सफल निविदाकार को बिजली व पानी का मीटर लगाने हेतू अनापति प्रमाण पत्र नगर निगम की सम्पदा शाखा से स्वयं प्राप्त करना होगा और इनके लगाने के खर्चे एवं बिलों आदि का भुगतान भी स्वयं करना होगा।

24. सूची में दर्शाई निगम सम्पति में यदि बिजली पानी की कोई राशि देय होगी, तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।
25. स्क्रीनों/सामुदायिक केन्द्र के सफल निविदाकार को निगम सदन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही सामुदायिक केन्द्र के बुकिंग चार्जिज लेने होंगे यदि सरकार द्वारा कोई भी सूचीम (एड) आती है, चलाने बारे निःशुल्क रहेगी। तथा इससे अधिक चार्जिज लिए जाने बारे शिकायत प्राप्त होने पर धरोहर राशि को जब्त कर निविदा को रद्द करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
26. सफल निविदाकार को निगम सम्पतियों के रख-रखाव/मुरम्मत एवं साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
27. सफल निविदाकार द्वारा विभाग को जो प्रत्येक माह के किराए के बैंक प्रस्तुत किए जाएंगे, यदि बैंक द्वारा किसी भी रूप से Dishonor कर वापिस किए जाते हैं, तो निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्रस्तुत की गई बैंक Gaurantee को बिना किसी सूचना से किराये में समायोजित कर दिया जायेगा तथा आबंटित सम्पति को रद्द करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
28. सफल उच्चतम निविदाकार को आबंटित की जाने वाली संपत्ति/दुकान का निगम के साथ एक सप्ताह के भीतर-भीतर 11 महीनों के लिए पट्टाविलेख निष्पादित करना अनिवार्य होगा। इकरार नामा/पट्टाविलेख निष्पादित न करने की स्थिति में आबंटित संपत्ति/दुकान की लीज एग्रीमेंट रद्द समझी जाएगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
29. इसके अतिरिक्त उक्त दर्शाई गई सम्पतियों के लिए आंमत्रित की गई निविदा की शर्तों से सम्बन्धित जानकारी निगम कार्यालय से किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं।  
निविदा की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतू अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाईट [WWW.Shimlamc.hp.gov.in](http://WWW.Shimlamc.hp.gov.in) पर प्राप्त कर सकते हैं।

  
आयुक्त,  
नगरनिगम शिमला।

## नगर निगम शिमला

नगर निगम शिमला की दुकानों/स्टोरो/ सामुदायिक केन्द्र के  
आबांटन हेतू।

### निविदा फार्म

सेवा में,

आयुक्त,  
नगर निगम, शिमला।

विषय:-  
महोदय,

निविदा बारे।

मैं अपनी निविदा निम्न ब्यौरे अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ।

1.	निविदाकार का नाम व पता तथा सम्पर्क न0	
2.	सम्पति का नाम जिसके लिए निविदा दी गई है।	
3.	धरोहर राशि के ड्राफ्ट का न0, तिथि व राशि	
4.	निविदाकार द्वारा भरी गई निविदा की राशि, मासिक/वार्षिक अंको व शब्दों में	
5.	निविदाकार के हस्ताक्षर तिथि सहित।	
6.	G.S.T No	